भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1695

27 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन में हुए सुधार

1695. श्रीमती किरण खेर:

श्री जगदम्बिका पाल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेक इन इंडिया योजना के तहत देश में विशेषकर पंजाब में इस्पात उत्पादन में हुए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मेक इन इंडिया योजना के तहत देश में इस्पात उत्पादन के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सफल रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सेल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को ऐसे अंतरराष्ट्रीय संरक्षणवादी उपायों के विरुद्ध सुरक्षा उपायों से लैस करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) के अंतर्गत शुरू की गई/शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति क्या है और पंजाब के चंडीगढ़ शहर में इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) विगत 5 वर्षों मे पंजाब में इस्पात उत्पादन 79.41% बढ़ा है। पंजाब में कच्चे इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत है:

वर्ष	**कच्चा इस्पात-पंजाब**
	उत्पादन (मिलियन टन)
2016-17	2.04
2017-18	2.78
2018-19	3.61
2019-20	3.31
2020-21	2.92
2021-22	3.66
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी);	

ख) देश की वर्तमान कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता 154.06 मिलियन टन है, जो राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के विजन के अनुसार 2030-31 तक 300 मिलियन टन परिकल्पित है। भारत में कच्चा इस्पात उत्पादन वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक 35.18% बढ़ा है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक भारत में कच्चा इस्पात उत्पादन के आंकड़े निम्नवत प्रस्तुत हैं:-

वर्ष	**कच्चा इस्पात-भारत**
	उत्पादन (एमटी)
2014-15	88.98
2015-16	89.79
2016-17	97.94
2017-18	103.13
2018-19	110.92
2019-20	109.14
2020-21	103.54
2021-22	120.29
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी= मिलियन टन	

(ग) इस्पात क्षेत्र की सुरक्षा हेतु व्यापार संबंधी उपचारात्मक उपाय महानिदेशक व्यापार उपचार (डीजीटीआर) द्वारा समय समय पर किए जाते हैं और ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए विशिष्ट नहीं हैं।

(घ) भारत का इस्पात अनुसंधान व प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) 1860 के सोसाइटी एक्ट XXI के तहत पंजीकृत हैं। निष्पादित की जाने वाली आरएंडडी परियोजनाएं सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड द्वारा तय की जाती हैं। गवर्निंग बोर्ड में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्रों के सीईओ डोमेन विशेषज्ञ तथा इस्पात मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी) होता हैं।

ड़) इस्पात नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, इस्पात संयंत्र स्थापित करने से संबंधित निर्णय व्यक्तिगत इस्पात कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी-आर्थिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं।

*****